संशोधन

संख्या- 144 /2026 /1031 /चार-2026-1856097

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2026**

विषय:- संस्कृति विभाग, उ0प्र0 में प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के भुगतान किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-137/2026/987/चार-2026-1856097 दिनांक 30 मार्च, 2026 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में शासनादेश संख्या-137/2026/987/चार-2026-1856097 दिनांक 30 मार्च, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्कृति विभाग, उ0प्र0 में प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के भुगतान हेतु रू0 14,33,700/- (रू0 चौदह लाख तैंतीस हजार सात सौ मात्र) की धनराशि मद संख्या "वित्तीय स्वीकृति चालू वर्ष-2025-26 के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-13-आजादी का अमृत काल महोत्सव-42-अन्य व्यय मद की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. अपर निदेशक संस्कृति के पत्र संख्या-5009/सं0नि0-15(43)/2025-26 दिनांक 31 मार्च, 2026 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मद में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण संग्रहालय निदेशालय के सुंसगत मद से स्वीकृति का आदेश निर्गत किया जाये।

3. अत: इस संबंध में शासनादेश संख्या-137/2026/987/चार-2026-1856097 दिनांक 30 मार्च, 2026 में **आंशिक संशोधन कर** संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 में प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के भुगतान किये जाने हेतु आय-व्ययक के अन्तर्गत "अनुदान सं0-92 के लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-13-आजादी का अमृत काल महोत्सव-42-अन्य व्यय मद" **के स्थान पर** "वित्तीय वर्ष-2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0 92 के लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान व्यय-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद" पढा जाय।

4. शासनादेश संख्या-137/2026/987/चार-2026-1856097 दिनांक 30 मार्च, 2026 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, राज्य संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in